IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, September 2026
Impact Factor: 8.2

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एवं विकास

डॉ. पुष्पा तिवारी
प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

शोध सारांश :–

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास प्राचीन स्वशासन की परंपराओं से लेकर आधुनिक वैधानिक संस्थाओं तक के क्रमिक विकास का एक महत्वपूर्ण सफर रहा है। राज्य के गठन (1 नवंबर 1956) के पश्चात् ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को एकरूपता प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर 'मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1962' पारित किया गया, जिसके तहत त्रि–स्तरीय पंचायती राज ढांचे की नींव रखी गई। समय के साथ प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को महसूस करते हुए, पी.के. दुबे समिति (1981) और महादेव शुक्ल आयोग (1990) जैसी महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, जिनकी संस्तुतियों ने पंचायतों को अधिक सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन (1992) के ऐतिहासिक मील के पत्थर के बाद, मध्य प्रदेश ने इस संशोधन को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त किया तथा 'मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993' अधिनियमित किया।

इस व्यवस्था ने न केवल त्रि–स्तरीय संरचना (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत) को संवैधानिक दर्जा और वित्तीय स्थिरता प्रदान की, बल्कि महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण और कमजोर वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत की गई हैं। प्रस्तुत आलेख में उक्त बिन्दुओं को रेखांकित करने का प्रयास है।

शब्द बीज :–मध्य प्रदेश, पंचायती राज, व्यवस्था, उद्भव, विकास, पेसा अधिनियम, आरक्षण कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि।

प्रस्तावना

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और ग्रामीण स्वशासन की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था एक आधार स्तम्भ रही है। मध्य प्रदेश, जो भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का हृदय प्रदेश है, ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन के प्रयोगों में अग्रणी रहा है। मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज कानून लागू किया और ऐतिहासिक चुनाव आयोजित किए।

प्राचीन काल की ग्राम सभाओं से लेकर आधुनिक समय में 'ग्राम स्वराज' और 'पेसा अधिनियम' के कार्यान्वयन तक, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास एक दीर्घकालिक और ऐतिहासिक यात्रा का परिणाम है।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज का ऐतिहासिक संदर्भ (स्वतंत्रता पूर्व काल) मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप विभिन्न देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के विलय से बना है। स्वतंत्रता से पूर्व इस क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की स्थिति इस प्रकार थी–

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 3, September 2026 Impact Factor: 8.2

प्राचीन एवं मध्यकालः— मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'ग्राम संघ' और 'ग्राम पंचायतें' न्याय और राजस्व से जुड़े मामलों का निपटारा करती थीं। ब्रिटिश काल एवं रियासती व्यवस्था (1920—1947)—1920 का दौर, ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र में पंचायत अधिनियम लागू किया गया।रियासतों में प्रयास—ग्वालियर, इंदौर और नरसिंहगढ़ जैसी रियासतों में वर्ष 1929 के आसपास पंचायती व्यवस्था स्थापित की गई। इंदौर रियासत ने वर्ष 1931 में 'इंदौर ग्राम पंचायत अधिनियम' पारित किया था।

स्वतंत्रता पश्चात् तथा पुनर्गठन के समय पंचायती राज (1947—1956)

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद, मध्य प्रदेश का वर्तमान भूभाग चार प्रमुख इकाइयों में विभाजित थारू महाकौशल (मध्य प्रांत एवं बरार), मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। प्रत्येक क्षेत्र में अलग—अलग पंचायत अधिनियम लागू थे— क्षेत्र/इकाई लागू कानून / विशेषता महाकौशल 'मध्य प्रांत एवं बरार पंचायत अधिनियम, 1946' लागू था। इसमें ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत की व्यवस्था थी।मध्य भारत 'मध्य भारत पंचायत अधिनियम, 1949' के तहत ग्राम, केंद्र और मण्डल पंचायत की तीन परतें बनाई गईं। विंध्य प्रदेश 'विंध्य प्रदेश अध्यादेश, 1949' के द्वारा ग्रामीण पंचायतों का गठन किया गया। भोपाल राज्य भोपाल राज्य पंचायत अधिनियम, 1952 के अंतर्गत स्थानीय संस्थाएँ कार्य कर रही थीं।

राज्य पुनर्गठन के बाद का चरण—एकीकरण एवं विकास (1956 — 1992)

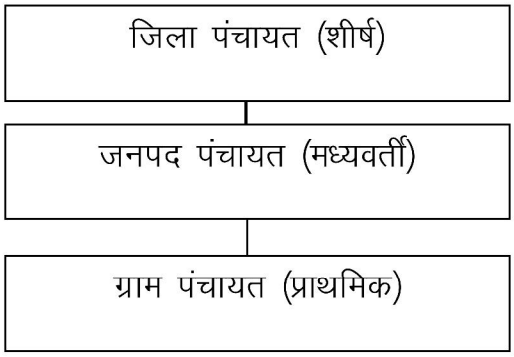
1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात् सबसे बड़ी चुनौती राज्य भर में एक समान पंचायती राज कानून लागू करना था। काशी प्रसाद पांडे समिति (1957) बलवंत राय मेहता समिति (1957) की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों के अध्ययन और अनुशंसा हेतु काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन किया। मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1962 काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य का पहला एकीकृत 'मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1962' पारित किया गया। इसमें त्रिस्तरीय ढाँचे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की रूपरेखा तैयार की गई। हालाँकि, प्रशासनिक शिथिलता और नियमित चुनावों के अभाव के कारण यह कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सका।

मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 तथा 1990 के संशोधन 1962 के अधिनियम की कमियों को दूर करने और अशोक मेहता समिति (1977) के सुझावों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, 1981 लाया गया। इसके बाद 1988 और 1990 में भी संशोधन अधिनियम पेश किए गए ताकि प्रक्रियाओं को सरल और त्वरित बनाया जा सके। स्वर्णिम युग— 73वाँ संविधान संशोधन और म.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1993 भारतीय संविधान में 73वें संशोधन (1992) ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में देश भर में सबसे त्वरित और क्रांतिकारी कदम उठाया। 73वें संविधान संशोधन की अनुपालना विधेयक पारित होना— 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा के 10वीं विधानसभा सत्र में 'मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993' प्रस्तुत किया गया। स्वीकृति व प्रभावी होना। 24 जनवरी 1994 को इस अधिनियम पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए और यह 25 जनवरी 1994 से प्रभावशील हुआ।

प्रथम चुनावः— मार्च—अप्रैल 1994 में नई संवैधानिक व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना। राज्य निर्वाचन आयोग— पंचायत चुनावों को निष्पक्ष रूप से संचालित करने के लिए 1 फरवरी 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया।

5. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संरचना एवं विशेषताएँ मध्य प्रदेश में लागू अधिनियम के अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज ढाँचा स्थापित किया गया—

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, September 2026
Impact Factor: 8.2



ग्राम पंचायत (प्राथमिक स्तर) जनसंख्या मानदंड – सामान्यतः 1,000 या उससे अधिक की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। संरचना–इसमें 10 से 20 वार्ड / सदस्य हो सकते हैं। निर्वाचन– वार्ड पंचों और सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी–ग्राम पंचायत सचिव/पंचायत समन्वयक अधिकारी।

जनपद पंचायत (मध्यवर्ती स्तर/विकासखंड) जनसंख्या मानदंड–5,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकासखंड स्तर पर गठित की जाती है। संरचना–इसमें 10 से 25 निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचन–जनपद सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पदेन सदस्यरू संबंधित क्षेत्र के विधायक और सरपंच इसके पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारीरू खंड विकास अधिकारी।

जिला पंचायत (शीर्ष स्तर) संरचना–पूरे जिले के स्तर पर गठित। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायतें कार्य कर रही हैं। निर्वाचन–जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पदेन सदस्य–जिले के सांसद, विधायक और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी–मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत–जो सामान्यतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी होते हैं।

मध्य प्रदेश पंचायती राज की प्रमुख नवीन विशेषताएँ एवं सुधारमध्य प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को केवल संवैधानिक रूप ही नहीं दिया, बल्कि इसमें कई ऐतिहासिक एवं साहसिक नीतिगत सुधार भी किए–महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने 'मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1993' में संशोधन करके महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। ऐसा करने वाले शुरुआती राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल था।

'मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना' (26 जनवरी 2001) 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश ने 'ग्राम स्वराज योजना' लागू की, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का नाम बदलकर 'मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम' कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधियों/सरपंचों की तुलना में सीधे 'ग्राम सभा' (प्रत्यक्ष लोकतंत्र) को अधिक शक्तियाँ देना था। ग्राम सभा के भीतर विकास समिति, निर्माण समिति, स्वास्थ्य समिति आदि जैसी स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया।

पेसा अधिनियम का कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 (भगवान बिरसा मुंडा की जयंती/जनजाति गौरव दिवस) को पेसा नियम लागू किए गए।इसके तहत राज्य के 20 जिलों के 89 जनजातीय विकासखंडों की ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन, खनिज, और पारंपरिक विवादों के निपटारे के अधिकार सौंपे गए हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, September 2026
Impact Factor: 8.2

ग्राम न्यायालय व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर सुलभ और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच जिले की झांतला ग्राम पंचायत में राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। इसके बाद 'ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008' के तहत बैरसिया (भोपाल) में 2 अक्टूबर 2009 को केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत ग्राम न्यायालय प्रारंभ किया गया।

मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियाँ इतने व्यापक संवैधानिक और विधायी ढाँचे के बावजूद राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष कुछ व्यावहारिक समस्याएँ विद्यमान हैं–वित्तीय स्वायत्तता की कमी अधिकांश पंचायतें अपने स्वयं के कर/शुल्क एकत्र करने में असमर्थ हैं और वित्तीय सहायता के लिए राज्य व केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर हैं। 'सरपंच पति' या 'पति पंचायत' की अवधारणा' महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरुष रिश्तेदार (पति/पिता) प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।

शक्तियों एवं कार्यों का पूर्ण हस्तांतरण न होना– 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से सभी विषयों का वास्तविक रूप से पंचायतों को पूर्ण हस्तांतरण नहीं हो पाया है। प्रशासनिक व नौकरशाही का हस्तक्षेप–ग्राम पंचायतों में सचिवों व रोजगार सहायकों की गुटबंदी और जनपद/जिला स्तर पर अधिकारियों के अत्यधिक हस्तक्षेप से निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। डिजिटल एवं तकनीकी साक्षरता का अभाव–ई–ग्राम स्वराज, ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटलीकरण के इस दौर में कई जनप्रतिनिधि तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं।

मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का उद्भव एक सदी से भी अधिक लंबे क्रमिक विकास का परिणाम है। स्वतंत्रता पूर्व के बिखरे प्रयासों से लेकर 1994 के ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन के क्रियान्वयन तक, मध्य प्रदेश ने हमेशा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। ग्राम स्वराज (2001) और पेसा नियमों (2022) के माध्यम से मध्य प्रदेश ने सत्ता के अंतिम छोर पर खड़े नागरिक को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। यदि वित्तीय संसाधनों का समुचित हस्तांतरण, महिला प्रतिनिधियों का वास्तविक सशक्तिकरण और नौकरशाही के हस्तक्षेप को कम किया जाए, तो मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था संपूर्ण भारत के लिए आदर्श मॉडल बनी रह सकती है। शासन द्वारा गठित किया गया है। जिसका अनुसूचित जातियों के विकास के लिए प्रत्यक्ष नियमों को प्रतिपादित किया गया है जिससे उन्हें सीधे तौर अनुसूचित जातियों अति पिछड़े क्षेत्रों में लाभान्वित हो रही है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था ने नौकरशाही के शिकंजे से सत्ता को मुक्त कर इसे सीधे ग्रामीण जनता के हाथों में सौंपने का कार्य किया है। आज यह व्यवस्था राज्य के ग्रामीण विकास, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला बन चुकी है। हालांकि, वित्तीय स्वायत्तता की कमी, प्रशासनिक नियंत्रण और जनप्रतिनिधियों में पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव जैसी कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ आज भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। इसके बावजूद, डिजिटल तकनीक का समावेशन, 'ग्राम स्वराज' की संकल्पना और स्थानीय नेतृत्व के सशक्तिकरण के माध्यम से मध्य प्रदेश का पंचायती राज मॉडल भारत के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह व्यवस्था ग्रामीण भारत को 'आत्मनिर्भर' और 'सक्षम' बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

संदर्भः

- मध्य प्रदेश शासन (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)– मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संशोधित संस्करण)।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 3, September 2026
Impact Factor: 8.2

- सिंह, डी. एन. एवं शर्मा, एस. के.–भारत में स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
- भारत का संविधान (73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992)–भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243O एवं 11वीं अनुसूची।
- मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग रिपोर्ट–पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन एवं क्रमिक विकास इतिहास।
- काशी प्रसाद पांडे समिति रिपोर्ट (1957)– मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों के गठन और पुनर्गठन संबंधी प्रतिवेदन पेसा एक्ट निर्देशिका (2022)–जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश